अध्याय V: प्रि.सीसीए, सीबीडीटी द्वारा आंतरिक लेखापरीक्षा

5.1 प्रस्तावना

प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक (प्रि.सीसीए), मुख्य लेखाकरण प्राधिकारी के रूप में राजस्व सचिव के साथ सीबीडीटी के लेखाकरण संगठन का प्रधान होता है। प्रधान सीसीए सीबीडीटी के तहत लेखाकरण कार्यों तथा लेखा कार्यालयों की आंतरिक लेखापरीक्षा को अभिशासित करता है।

क्षेत्रीय स्तर पर, प्रधान सीसीए, सीबीडीटी के क्षेत्राधिकार के तहत 52 क्षेत्रीय लेखा (जेडएओज) कार्यालय हैं। यद्यपि, सीबीडीटी के लेखा विंग के पुनर्गठन पर 28 नए जेडएओ और 4 ई-पीएओ बनाए गए है। नए गठित जेडएओ से संबंधित आईएपी अभी भी बनाए जाने हैं।

प्रधान सीसीए, नई दिल्ली द्वारा जारी सीबीडीटी (नियमावली) की आंतरिक निरीक्षण नियमावली आंतरिक लेखापरीक्षा पार्टी की कार्य प्रणाली निर्देशित करते हैं।

प्रधान सीसीए, सीबीडीटी के कार्यालय की आंतरिक लेखापरीक्षा कार्यप्रणाली की प्रभाविता और दक्षता सुनिश्चित करने के लिए हमने वि.व. 2010-11 से 2013-14 के दौरान लेखापरीक्षा योजना, रिपोर्टिंग और आंतरिक लेखापरीक्षा द्वारा उठाए गए लेखापरीक्षा पैरा के अनुवर्ती तंत्र के मामलों की जांच की।

5.2 लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र और कवरेज

सभी सीबीडीटी कार्यालय, सीबीडीटी राजस्व संग्रहण हेतु प्राधिकृत बैंक आंतरिक लेखापरीक्षा के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। आंतरिक लेखापरीक्षा में लेखाकरण और वित्तीय मामलों में नियमों, विनियमों, प्रणालियों और प्रक्रियाओं का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कार्यकारी कार्यालयों में अनुरक्षित शुरूआती लेखाओं की जांच की जाती है। मुख्य लेखा नियंत्रक (आंतरिक लेखापरीक्षा), नई दिल्ली के अतिरिक्त विभिन्न जेडएओज में स्थित उनके मुख्यालयों के पास आंतरिक लेखापरीक्षा पार्टियाँ (आईएपी) हैं, जैसा कि नीचे तालिका 5.1 में विवरण दिया गया है। आईएपी, प्रधान सीसीए के पूर्णत: मार्गदर्शन में कार्य करती है जिसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और कानपुर के सीसीए/सीए/डीसीए/एसीए द्वारा सहायता दी जाती है।

तालिका 5.1 आंतरिक लेखापरीक्षा पार्टियों की सूची

सीए/डीसीए/एसीए	आईएपी	आईएपी द्वारा लेखापरीक्षा किया जाने वाला ज़ोन
सीए मुंबई	मुंबई, अहमदाबाद, भोपाल एवं जयपुर (4 आईएपीस)	जेडएओ- चेन्नई, कोचीन, कानपुर, आगरा, रोहतक, जालंधर एवं मेरठ
डीसीए/एसीए दिल्ली (मु.)	आईएपी-। एवं ।।, दिल्ली और पटियाला (3 आईएपीस)	जेडएओ- पटना, शिलांग, बैंगलूरू, लखनऊ और अहमदाबाद
डीसीए कानपुर	आईएपी-इलाहाबाद एवं आईएपी-पटना (2 आईएपीस)	जेडएओ- पटियाला एवं अमृतसर
डीसीए कोलकाता	आईएपी-। एवं ।। कोलकाता, (2 आईएपीस), आईएपी पटना का कार्य डीसीए कोलकाता के पूर्णतः प्रशासनिक नियंत्रण के साथ एओ (आईए) इलाहाबाद के माध्यम से किया जाएगा।	जेडएओ- हैदराबाद, इलाहाबाद, भोपाल एव मुंबई
डीसीए चेन्नई	आईएपी- चेन्नई एवं हैदराबाद (2 आईएपीस)	जेडएओ- भुवनेश्वर, कोलकाता, नागपुर, नई दिल्ली, जयपुर एवं पुणे

स्रोतः आंतरिक निरीक्षण नियमावली, सीबीडीटी

लेखापरीक्षायोग्य इकाईयों को लेखापरीक्षा की आवधिकता के आधार पर वार्षिक, द्विवार्षिक और त्रिवार्षिक के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है। सभी जेडएओस, नोडल बैंक, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली स्थित प्रधान सीसीआईटी/सीसीआईटी के डीडीओ, सीआईटी कार्यालयों के आहरण एवं संवितरण अधिकारियों (डीडीओज़), नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई अहमदाबाद और हैदराबाद के अन्य विभागाध्यक्ष तथा सीआईटी की क्षेत्रीय भुगतान इकाईयाँ, वार्षिक इकाईयाँ हैं और इसलिए प्रत्येक वर्ष इनका लेखापरीक्षा किया जाना आवश्यक है। अन्य शहरों में सीबीडीटी/ सीआईटी की क्षेत्रीय भुगतान इकाईयाँ द्विवर्षीय हैं। गैर मेट्रो शहरों के प्र.सीसीए/सीसीए के डीडीओ त्रिवर्षीय हैं।

हमने पाया कि चेन्नई, दुर्गापुर, जलपाईगुडी, मुंबई, त्रिवेंद्रम और नई दिल्ली की जेडएओ इकाईयों की निष्पादन लेखापरीक्षा की तिथि तक आंतरिक लेखापरीक्षा पार्टी द्वारा वि.व. 2010-11 से 2013-14 के दौरान लेखापरीक्षा नहीं की गई थी। जेडएओ-दुर्गापुर और जलपाईगुडी में कोई भी आंतरिक लेखापरीक्षा

विंग नहीं है और इन इकाईयों की किसी अन्य आईएपी द्वारा लेखापरीक्षा नहीं की गई है।

हरियाणा और पंजाब एवं केन्द्र शासित चंडीगढ़ प्रभार में, 2012 में 3 जेडएओ (लुधियाना, चंडीगढ़ और पंचकुला) बनाए गए थे। यद्यपि आईएपी द्वारा इन जेडएओ की लेखापरीक्षा नहीं की गई है।

लेखापरीक्षा को यह स्पष्ट नहीं है कि क्या नए लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार को दर्शाने के लिए आंतरिक निरीक्षण नियमावली को अद्यतित किया गया था। किसी अद्यतन के अभाव में, नई बनी इकाईयों के लेखापरीक्षा न होने का जोखिम है।

हमने देखा कि आईएपी ने बोर्ड द्वारा निर्धारित कार्यक्षेत्र के अनुसार सभी कार्यात्मक प्रभारों अर्थात् आरटीआई की लेखापरीक्षा, प्रणाली लेखापरीक्षा, ई-भुगतान लेखापरीक्षा, प्रतिदाय लेखापरीक्षा आदि का लेखापरीक्षा नहीं किया।

5.3 बोर्ड द्वारा निर्धारित कार्यक्षेत्र रूपरेखा के अनुसार कार्यात्मक प्रभागों का लेखापरीक्षा में सम्मलित करना

सीबीडीटी की आंतरिक निरीक्षण नियमावली के पैरा 2.2 के अनुसार प्रधान सीसीए द्वारा आंतरिक लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र प्रधान सीसीए कार्यालय में अनुरक्षित लेखाकरण अभिलेख, जेडएओ, क्षेत्रीय भुगतान इकाईयों, प्रत्यक्ष कर के संग्रहण हेतु प्राधिकृत आईटीडी-बैंकों में प्राप्ति लेखा इकाईयों और आहरण एवं संवितरण कार्यालयों, व्यक्तिगत जमा लेखाओं (सीआईटी कार्यालयों में अनुरक्षित), आईटीडी के क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान (आरटीआई), आईटीडी की प्रणाली लेखापरीक्षा, आईटीडी के ई-भुगतान, प्रतिदाय लेखापरीक्षा की जांच तक फैला है। प्रधान सीसीए, सीबीडीटी की आंतरिक लेखापरीक्षा द्वारा लेखापरीक्षायोग्य कार्यात्मक इकाईयों की लेखापरीक्षा निम्नलिखित कमियाँ देखी गई:

क. हमने देखा कि प्रधान सीसीए का कार्यालय, नई दिल्ली की आंतरिक लेखापरीक्षा विंग ने आरटीआई, प्रणाली लेखापरीक्षा, ई-भुगतान लेखापरीक्षा और ई-भुगतान लेखापरीक्षा नहीं की।

ख. महाराष्ट्र प्रभार में, वि.व. 2010-11 से 2013-14 के दौरान मुंबई, नागपुर, पुणे, थाणे और नासिक के जेडएओ की आंतरिक लेखापरीक्षा का कार्य सौंपे गए आईएपी ने प्रणाली लेखापरीक्षा तथा ई-भुगतान लेखापरीक्षा नहीं किया। व.लेप.अ., आईटीए (समंवय), मुंबई ने बताया

(नवम्बर 2014) कि थाणे और नासिक के जेडएओ 2012 में नए बने हैं और कर्मचारियों की कमी के कारण नागपुर, पुणे, थाणे और नासिक के जेडएओ के तहत सभी इकाईयों की लेखापरीक्षा नहीं की जा सकी। आगे यह भी बताया गया कि वि.व. 2014-15 के लिए जेड़एओ मुंबई द्वारा आरटीआई लेखापरीक्षा और प्रणाली लेखापरीक्षा पहले ही कर ली गई है।

ग. जेडएओ, सीबीडीटी, चेन्नई प्रभार में आईएपी ने प्रणाली लेखापरीक्षा और ई-भुगतान की लेखापरीक्षा नहीं की गई थी।

घ. जेडएओ, सीबीडीटी, जयपुर प्रभार में, आईएपी ने केवल डीडीओ की लेखापरीक्षा की। गुजरात प्रभार में, आईएपी ने वि.व. 2010-14 के दौरान डीडीओ और व्यक्तिगत जमाखातों की लेखापरीक्षा की।

ङ. हैदराबाद प्रभार में, जेडएओ, हैदराबाद में लिपिक वर्गीय कर्मचारी प्रशिक्षण इकाई, आईटीडी की प्रणाली लेखापरीक्षा, आईटीडी के ई-भुगतान, आईटीडी में प्राप्ति लेखापरीक्षा इकाईयों, कर सूचना नेटवर्क, शिकायतों, निर्धारितियों की शिकायतों को वि.व. 2010-11 से 2013-14 के दौरान आंतरिक लेखापरीक्षा के अंतर्गत नहीं लिया गया था।

हमने पाया कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष में प्रस्तुत की जाने वाली आंतरिक लेखापरीक्षा के निष्पादन पर वार्षिक समीक्षा कार्यात्मक इकाईयों जैसे जैडएओ, एफपीयू, डीडीओ की लेखापरीक्षा, आईटीडी में प्राप्ति लेखाकरण इकाईयां, व्यक्तिगत जमा खाते आदि की कवरेज की सीमा को नहीं दर्शाती।

प्र. सीसीए (सीबीडीटी) ने कहा (जून 2015) कि प्रशासनिक सुविधा के अनुसार कार्यात्मक इकाईयों की लेखापरीक्षा की गई और आरटीआई लेखापरीक्षा और प्रणाली लेखापरीक्षा आरंभ की गई। प्रतिदाय लेखापरीक्षा स्टाफ की कमी के कारण नहीं की गई तथा ई-भुगतानों की लेखापरीक्षा प्रक्रिया और लेखापरीक्षा की तकनीकों को लागू किया जाना है।

आईएपी ने उसको सौंपी गई सभी इकाईयों की लेखापरीक्षा नहीं की जिसके परिणामस्वरूप वि.व. 2010-11 से 2013-14 की अवधि के दौरान 10 इकाईयों से 774 इकाईयों तक की कमी रही।

5.4 आंतरिक लेखापरीक्षा द्वारा योजनाबद्ध इकाईयों की लेखापरीक्षा कवरेज

लेखापरीक्षा योग्य इकाईयां लेखापरीक्षा की अवधि पर आधारित वार्षिक, द्विवार्षिक, त्रिवार्षिक रूप से वर्गीकृत की गई हैं। मौजूदा प्रक्रिया इकाईयों के

अनुसार प्रत्येक वर्ष आंतरिक लेखापरीक्षा के लिए योजना बनाई जाती है। वि.व. 2010-11 से 2013-14 के दौरान प्र.सीसीए, सीबीडीटी की आंतरिक लेखापरीक्षा के निष्पादन की वार्षिक समीक्षा के अनुसार लेखापरीक्षा की जाने वाली 4,921 इकाईयों में से 3,708 इकाईयों (75.35 *प्रतिशत*) को अलेखापरीक्षित छोड़ते हुए केवल 1,213 इकाईयों (24.65 *प्रतिशत*) की लेखापरीक्षा की गई जैसा कि इस अध्याय की तालिका 5.4 में दर्शाया गया है।

क्षेत्र स्तर पर आंतरिक लेखापरीक्षा हेतु नियत इकाईयों की कवरेज में कमी के कारण जांच के उद्देश्य से, हम अग्रलिखित की अभिनिश्चित की:

तालिका 5.2: लेखापरीक्षा के लिए इकाईयों की कवरेज में कमी

क्षेत्र	लेखापरीक्षा के लिए शेष इकाईयां	लेखापरीक्षित इकाईयां	कमी	कमी के कारण
1. आंध्र प्रदेश और तेलंगाना	369	130	239	निधियों में कमी और कार्यक्रम में विचलन
2. गुजरात	157	147	10	उपलब्ध नहीं कराया
3. कर्नाटक	97	22	75	श्रमबल में कमी
4. केरल	76	13	63	उपलब्ध नहीं कराया
5. महाराष्ट्र	861	87	774	आंतरिक लेखापरीक्षा के लिए अलग स्टाफ उपलब्ध नहीं कराया
6. ओड़िशा	236	60	176	एएओज़ और लेखाकारों के संवर्ग में संस्वीकृत स्टाफ नहीं
7. राजस्थान	92	68	24	उपलब्ध नहीं कराया
8. तमिलनाडू	381	244	137	श्रमबल की कमी
9. पश्चिम बंगाल	243	100	143	कोई उत्तर नहीं
कुल	**2,512**	**871**	**1,641**	

स्रोतः प्र. सीसीए, सीबीडीटी के क्षेत्र गठन से प्राप्त

प्र. सीसीए (सीबीडीटी) ने कहा (जून 2015) कि स्टाफ की अत्यधिक कमी के कारण कमी हुई।

निरीक्षण प्रतिवेदनों को जारी करने में विलम्ब और निरीक्षण प्रतिवेदनों को जारी करने के बाद उत्तरों की प्राप्ति में विलम्ब के दृष्टांत थे।

5.5 निरीक्षण प्रतिवेदनों को जारी करना और अनुवर्तन

किसी निरीक्षण के पूरा होने के बाद, आंतरिक लेखापरीक्षा दल एक निरीक्षण प्रतिवेदन जारी करते हैं। निरीक्षण प्रतिवेदन (आईआरज़) के अनुपालन को देखने के लिए एक प्रगति पंजिका तैयार की जाती है। आईआर का पहला उत्तर प्रतिवेदन को जारी करने की तिथि से एक महीने के अंदर प्राप्त होना चाहिए। किसी आईआर के उत्तर के लिए प्रथम अनुस्मारक प्रतिवेदन को जारी करने की तिथि से छः सप्ताह के बाद जारी किया जाना चाहिए और दूसरा अनुस्मारक, यदि आवश्यक हो, एक महीने बाद भेजा जाना चाहिए। तत्पश्चात अनुस्मारक उपयुक्त स्तर से अर्द्ध-कार्यालयी पत्रों द्वारा भेजे जाने चाहिए। सामान्यतः प्रतिवेदन सीबीडीटी की आंतरिक निरीक्षण नियमावली के पैरा 4.16 के अनुसार उसके जारी करने के 6 महीनों के अंदर तैयार होना चाहिए।

हमने पाया कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, दिल्ली, कर्नाटक और केरल प्रभारों में उपर्युक्त प्रक्रिया को नहीं अपनाया गया। आईआर विलम्ब से जारी किये गये थे, निरीक्षण प्रतिवेदनों के उत्तर 6 महीनों में प्राप्त नहीं हुए थे, अनुस्मारक जारी नहीं किये गये थे और निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनुवर्तन के अभाव में पैराग्राफ लंबित हो गये।

क. कर्नाटक प्रभार में, आईएपी ने 22 इकाईयों की लेखापरीक्षा की और 172 पैराग्राफों के साथ 22 आईआरज़ नवम्बर 2013 से फरवरी 2014 के दौरान तैयार किये गये। इनमें से आईएपी ने दिल्ली को भेजी गई 4 आईआर को जारी करने के अनुमोदन प्राप्त नहीं हुए। इसके अतिरिक्त, आईएपी को न तो आईआरज का कोई उत्तर प्राप्त हुआ न ही कोई अनुवर्तन कार्रवाई की।

ख. हैदराबाद प्रभार में, तीन बैंकों के आईआरज़ को जारी करने में 126 से 495 दिनों का विलम्ब हुआ था और 6 बैंकों के लिए जारी किये गये आईआरज का कोई सबूत नहीं था। इसके अतिरिक्त, व्यय इकाईयों और डीडओं कार्यालयों के संबंध में आईआरज 58 दिनों से 286 दिनों की अवधि के बीच जारी किये गये थे। हमने यह भी पाया कि वि.व. 2010-11 से 2013-14 के दौरान, पुनरीक्षा हेतु डीसीए (चेन्नै) को भेजे गये आईआर न तो तुरंत वापस प्राप्त हुए; न ही बाद में प्राप्त हुए। आईएपी ने आईआर के उत्तरों के प्राप्त न होने के संबंध में कोई अनुस्मारक जारी नहीं किये।

ग. दिल्ली प्रभार में, आईएपी ने उपयुक्त रूप से बैंकों के दो आईआर में कोई अनुवर्ती कार्रवाई नहीं की जिसके कारण ये लंबित रहे।

घ. केरल प्रभार में, निरीक्षण प्रतिवेदनों को जारी करने में 5 से 17 महीनों के बीच तथा प्रतिवेदनों को क्रमश: जारी करने और निपटान में 50 महीनों का विलम्ब हुआ। यह उत्तर दिया गया कि लेखापरीक्षा स्टाफ की कमी के कारण नहीं की जा सकी और प्रतिवेदन के कई चरण समय पर नहीं किये गये थे।

प्र.सीसीए (सीबीडीटी) ने कहा (जून 2015) कि निरीक्षण प्रतिवेदन अब समय पर भेजे जा रहे हैं परंतु लेखापरीक्षित इकाईयों द्वारा अनुपालना अग्रेषित नहीं की जा रही है।

पैरा के निपटान हेतु कोई महत्वपूर्ण प्रयास नहीं किये गये थे इसलिए निपटान की दर बहुत धीमी थी। गौण आपत्तियों को नियमावली के निर्देशानुसार उसी वक्त नहीं निपटाया गया जिसके कारण आपत्तियों का ढ़ेर लग गया।

5.6 आंतरिक लेखापरीक्षा पैराओं का निपटान

कुल 5,303 आंतरिक लेखापरीक्षा पैरा उठाये गये और वि.व. 2012-13 से 2013-14 के दौरान 2,222 पैराओं का निपटान किया गया। 31 मार्च 2014 तक, इस अध्याय की तालिका 5.6 में दिये गये विवरण के अनुसार निपटान हेतु 13,184 लंबित थे। इस प्रकार, निपटान की दर बहुत कम थी। इन पैराओं के विलंबन के वर्ष वार ब्यौरे भी आंतरिक लेखापरीक्षा विंग के पास उपलब्ध नहीं थे। पैराओं के विलंबन के कुछ विवरण नीचे तालिका 5.3 में दर्शाये गये है:

तालिका 5.3 पैरा का लंबन

क्र.सं.	क्षेत्र	लंबित पैरा
1	आंध्र प्रदेश और तेलंगाना	1,412
2	दिल्ली	772
3	गुजरात	1,255
4	केरल	360
5	महाराष्ट्र	2,067
6	राजस्थान	652
7	तमिलनाडु	1,073
	कुल	**7,591**

स्रोत: प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक, सीबीडीटी के क्षेत्र गठन से प्राप्त विवरण

व.प्र.अ., आंतरिक लेखापरीक्षा (समन्वय) मुंबई प्रभार ने कहा (जनवरी 2015) कि सभी जेडएओ विशेष प्रबल प्रेरणा आयोजित करते हुए बकाया पैराओं के

निपटान के लिए प्रयास कर रहे हैं तथा पैराओं के निपटान हेतु लेखापरीक्षित इकाईयों को आवधिक अनुस्मारक भेज रही है। प्राथमिकता आधार पर बकाया पैराओं के निपटान के लिए अनुपालन सेल के गठन का सुझाव दिया गया है।

सीबीडीटी की आंतरिक लेखापरीक्षा की नियमावली के पैरा 4.7 के अनुसार, लेखापरीक्षित कार्यालयों के अध्यक्षों से उत्तर प्राप्त करके गौण आपत्तियों का तत्काल समाधान किया जाना चाहिए।

जेडएओ, सीबीडीटी, चेन्नई प्रभार में, हमने पाया कि गौण आपत्तियाँ केवल बाद की लेखापरीक्षा के दौरान ही निपटाई गई, तत्काल नहीं। *व.प्र.अ. (आईएपी), जेडएओ, सीबीडीटी, चेन्नई ने उत्तर दिया (दिसम्बर 2014) कि आंतरिक लेखापरीक्षा ने जो आपत्तियां की है वे केवल अगली लेखापरीक्षा में देखी जानी चाहिए और उन्हें तत्काल नहीं निपटाया जा सकता। विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि गौण आपत्तियों पर लेखापरीक्षित इकाईयों से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था।*

प्र.सीसीए (सीबीडीटी) ने कहा (जून 2015) कि लेखापरीक्षा पैराओं के निपटान में विलम्ब हेतु कारण स्टाफ और प्रशिक्षित श्रमबल की अत्यधिक कमी के कारण हुई कमी थी। इसके अतिरिक्त यह कहा गया कि जेडएओ और आईएपी को लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों और बकाया पैराओं पर पूर्व अनुवर्ती कार्रवाई करने के लिए याद कराया गया था।

नियंत्रण पंजिका या तो अनुरक्षित नहीं की गई है या आंतरिक लेखापरीक्षा आपत्तियों की प्रगति और निपटान की निगरानी हेतु विनिर्दिष्ट फार्मेट में अनुरक्षित नहीं की गई हैं।

5.7 नियंत्रण पंजिकाओं का अनुरक्षण

सीबीडीटी की आंतरिक लेखापरीक्षा नियमावली के पैरा 2.5 के अनुसार, मुख्यालय में आंतरिक जांच लेखापरीक्षा अनुभाग दल द्वारा भेजे गये निरीक्षण प्रतिवेदनों को देखने के लिए आंतरिक निरीक्षणों, पंजिकाओं के दौरान पाई गई महत्वपूर्ण अनियमितताओं को दर्शाते हुए नियंत्रक पंजिका, आंतरिक निरीक्षण प्रतिवेदनों की प्रगति पंजिकाएं और जारी प्रतिवेदनों की प्रगति को देखने के लिए पंजिका तैयार करेगा। हमने पाया कि ये पंजिकाएं आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटक, केरल, राजस्थान और तमिलनाडू प्रभार में या तो तैयार नहीं की गई थीं या विनिर्दिष्ट फार्मेट में तैयार नहीं की गई थीं।

प्र.सीसीए (सीबीडीटी) ने कहा (जून 2015) कि नियंत्रण पंजिकाएँ विनिर्दिष्ट फॉर्मेट में तैयार की जाएगीं।

आंतरिक लेखापरीक्षा स्टाफ के कौशल को बढ़ाने के लिए कोई प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित नहीं किये गये।

5.8 आंतरिक लेखापरीक्षा स्टाफ का प्रशिक्षण और विकास

सीबीडीटी की आंतरिक निरीक्षण नियमावली के पैरा 2.1 के अनुसार, निरीक्षण कार्य प्रशिक्षित और सक्षम स्टाफ द्वारा किया जाना चाहिए जिन्हें लेखे की निपुणता से जांच करने के योग्य होना चाहिए। इस प्रकार, निरीक्षण कार्य हेतु रखे गये स्टाफ के चयन और प्रशिक्षण देने में विशेष ध्यान देना आवश्यक है।

हमने अवलोकन किया कि वि.व. 2010-11 से 2013-14 के दौरान आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान और पश्चिम बंगाल प्रभार में आंतरिक लेखापरीक्षा स्टाफ के लिए कोई प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित नहीं किये गये। जेडएओ, मुंबई के अधिकारियों को वि.व. 2011-12 और 2013-14 के दौरान प्रतिवेदन लेखन जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा और आंतरिक लेखापरीक्षा के क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया गया।

प्र.सीसीए (सीबीडीटी) ने यह स्वीकार करते हुए कि वर्ष 2013-14 और 2014-15 के दौरान कोई प्रशिक्षण नहीं दिया गया; कहा (जून 2015) कि आईएपी स्टाफ को उचित प्रशिक्षण देने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं।

आंतरिक लेखापरीक्षा के लिए तैनात श्रमबल की अत्यधिक कमी है जिससे आंतरिक लेखापरीक्षा के कार्य में बाधा आई है।

5.9 आंतरिक लेखापरीक्षा के लिए तैनात श्रमबल

कर्नाटक प्रभार में, 3 कर्मियों की संस्वीकृत संख्या में से, आईएपी केवल एक कर्मी के साथ कार्य कर रहा था। गुजरात प्रभार में, वि.व. 2010-11 और 2011-12 के दौरान एक व. लेखा अधिकारी और वि.व. 2012-13 और 2013-14 के दौरान एक लेखाकार की कमी थी। ओड़िशा में आंतरिक लेखापरीक्षा के लिए केवल एक एओ उपलब्ध था। महाराष्ट्र प्रभार में, आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य हेतु कोई अलग स्टाफ संस्वीकृत नहीं है। वि.व. 2013-14 के दौरान, जेडएओ मुंबई, कार्यालय के आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य हेतु वरिष्ठ लेखापरीक्षा के केवल तीन पद संस्वीकृत थे। व.प्र.अ. और स.प्र.अ. के लिए कोई पद संस्वीकृत नहीं थे।

दिल्ली प्रभार में आईटीए (मुख्यालय) के संबंध में कोई संस्वीकृत पद नहीं है, यद्यपि आईटीए (मुख्यालय) अनुभाग में कार्यरत संख्या में 4 व.लेखा अधिकारी/लेखा अधिकारी, 8 सहायक लेखा अधिकारी, 5 व.लेखाकार/लेखाकार, 1 एलडीसी और 1 एमटीएस है।

प्र.सीसीए, सीबीडीटी की वार्षिक समीक्षा के अनुसार श्रमबल की अत्यधिक कमी के कारण वि.व. 2010-11 से 2013-14 के दौरान लेखापरीक्षा कवरेज में 75.35 *प्रतिशत* की कमी थी।

5.10 प्र.सीसीए, सीबीडीटी की आंतरिक लेखापरीक्षा विंग का निष्पादन

आंतरिक लेखापरीक्षा के निष्पादन को प्र.सीसीए, सीबीडीटी द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए आंतरिक लेखापरीक्षा के निष्पादन की वार्षिक समीक्षा के रूप में रिपोर्ट किया जाता है। हमने पाया कि आंतरिक लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षा आपत्तियां उठाने और निपटान करने आदि के लिए योजनाबद्ध इकाईयों की लेखापरीक्षा कवरेज की क्षेत्र वार विवरण वार्षिक समीक्षा में सूचित नहीं किये गये हैं।

हमने पाया कि वि.व. 2010-11 से 2013-14 के दौरान, लेखापरीक्षित 4,921 इकाईयों में से, 3,708 इकाईयों (75.35 *प्रतिशत*) की लेखापरीक्षा न करते हुए केवल 1,213 इकाईयों (24.65 *प्रतिशत*) की समीक्षा की गई। लेखापरीक्षा हेतु योजनाबद्ध इकाईयों की कवरेज में कमी का वर्ष-वार विवरण नीचे तालिका 5.4 में दर्शाया गया है:

तालिका 5.4: प्र.सीसीए, सीबीडीटी की आंतरिक लेखापरीक्षा द्वारा लेखापरीक्षित इकाईयों के लक्ष्य और लक्ष्य प्राप्तियां

वर्ष	लेखापरीक्षा हेतु योजनाबद्ध इकाईयां	लेखापरीक्षित इकाईयां	बकाया/कमी
2010-11	907	357	550
2011-12	1,507	190	1,317
2012-13	1,889	287	1,602
2013-14	618	379	239
कुल	**4,921**	**1,213**	**3,708**

स्रोत: आंतरिक लेखापरीक्षा विंग, (मुख्यालय) प्रधान मुख्य लेखा-नियंत्रक, सीबीडीटी

इकाईयों की लेखापरीक्षा कवरेज में कमी के लिए बताये गये कारण श्रमबल की अत्यधिक कमी थी। यद्यपि आईटीटी की पुन: संरचना के परिणामस्वरूप प्रशासनिक इकाईयों की संख्या में वृद्धि हुई, आईएपीज़ और संबंधित कार्य संख्या घट गई थी। बकाया को समाप्त करने के उद्देश्य से, प्र.सीसीए, सीबीडीटी ने उनके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सभी डीडीओ/बैंकों/व्यक्तिगत जमा खातों की

आंतरिक लेखापरीक्षा के लिए चक्रानुक्रम आधार पर एक दल गठित करने के 52 जेडएओ को निर्देश दिये।

31 मार्च 2014 तक आंतरिक लेखापरीक्षा विंग की श्रमबल स्थिति नीचे तालिका 5.5 में दर्शाई गई है:

तालिका 5.5: आईटीए सकंद, प्र.सीसीए, सीबीडीटी में श्रमबल की स्थिति

संवर्ग	संस्वीकृत पद	कार्यरत कर्मचारी
समूह क	शून्य	शून्य
समूह ख	31	31
समूह ग	36	24
कुल	**67**	**55**

स्रोतः आंतरिक लेखापरीक्षा विंग, (मुख्यालय) प्रधान मुख्य लेखा-नियंत्रक, सीबीडीटी

1 अप्रैल 2012 तक, का आदि शेष 7,772 था। वि.व. 2012-13 से 2013-14 के दौरान कुल 5,303 आंतरिक लेखापरीक्षा पैरों को उठाया गया और 2,222 पैरों का निपटान किया गया। 31 मार्च 2014 तक, नीचे तालिका 5.6 में निपटान हेतु लंबित 13,184 पैरों को दर्शाया गया है। वि.व. 2012-13 और 2013-14 के दौरान केवल क्रमशः 902 और 1,320 पैरों का निपटान किया गया।

तालिका 5.6: प्र.सीसीए, सीबीडीटी के आंतरिक लेखापरीक्षा सकंद द्वारा उठये गये और निपटाये गये पैरों का विवरण

वित्तीय वर्ष	वर्ष के आरंभ पर पैरा	निपटाये गये पैरा	उठाये गये पैरा	बकाया पैरा
2012-13	7,772	902	2,032	8,902
2013-14	11,233[10]	1,320	3,271	13,184
कुल		**2,222**	**5,303**	

स्रोतः आंतरिक लेखापरीक्षा विंग, (मुख्यालय) प्रधान मुख्य लेखा-नियंत्रक, सीबीडीटी

वि.व. 2010-11 और 2011-12 हेतु आंतरिक लेखापरीक्षा पैरा की स्थिति पर सूचना उपलब्ध नहीं है। हमने पाया कि लेखापरीक्षा योग्य इकाईयों के लक्ष्य और लक्ष्य प्राप्तियां तथा आंतरिक लेखापरीक्षा के परिणामों पर निगरानी रखी जाती है और प्रत्येक वित्त वर्ष हेतु प्र.सीसीए, सीबीडीटी द्वारा आंतरिक लेखापरीक्षा के निष्पादन की वार्षिक समीक्षा में सूचना दी जाती है, लेखापरीक्षा

10 2013-14 के आदि शेष एवं 2012-13 के अंतिम शेष में अंतर का कारण जेडएओज की संख्या में 24 से 54 तक की बढ़ोतरी थी।

कवरेज के क्षेत्र-वार/ज़ोन-वार विवरण, उठाई गई और निपटाई गई लेखापरीक्षा आपत्तियों की सूचना नहीं दी जाती।

प्र.सीसए (सीबीडीटी) ने कहा (जून 2015) कि लेखापरीक्षा कवरेज के लक्ष्यों की प्राप्ति में कमी श्रमबल की अत्यधिक कमी के कारण थी।

5.11 निष्कर्ष

हमने पाया कि प्र.सीसीए, सीबीडीटी के आईएपीज़ ने सीबीडीटी द्वारा विनिर्दिष्ट कार्यक्षेत्र के अनुसार आरटीआई की लेखापरीक्षा, पद्धति लेखापरीक्षा, ई-भुगतान लेखापरीक्षा और प्रतिदाय लेखापरीक्षा नहीं की। श्रमबल की अत्यधिक कमी के संबंध में वि.व. 2010-11 से 2013-14 के दौरान लेखापरीक्षा कवरेज में कमी 10 से 774 इकाईयों तक थी। हमने आईआर को जारी करने और आईआर के जारी करने के बाद उत्तरों की प्राप्ति में विलम्ब की घटनाएं देखीं। पैरों को निपटाने की दर काफी कम थी। हमने पाया कि क्षेत्र वार/ज़ोन-वार लेखापरीक्षा कवरेज, उठाई गई और निपटाई गई लेखापरीक्षा आपत्तियों के विवरणों की सूचना प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु प्र.सीसीए, सीबीडीटी द्वारा आंतरिक लेखापरीक्षा के निष्पादन की वार्षिक समीक्षा में नहीं दी जाती।

5.12 सिफारिशें

हमने सिफारिश की कि

क. प्र.सीसीए (सीबीडीटी) केन्द्रीयकृत आधार पर आंतरिक लेखापरीक्षा के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत कार्य कर रही इकाईयों के कवरेज की निगरानी पर विचार कर सकता है और आंतरिक लेखापरीक्षा के निष्पादन की वार्षिक समीक्षा में उक्त के परिणामों की सूचना दे सकता है।

ख. प्रत्येक वित्तीय वर्ष में प्रकाशित प्र.सीसीए (सीबीडीटी) आंतरिक लेखापरीक्षा (जैसे योजना बद्ध इकाईयों की लेखापरीक्षा कवरेज, उठाई गई और निपटाई गई लेखापरीक्षा आपत्तियों का विवरण) के निष्पादन की वार्षिक समीक्षा में प्र.सीसीए के अंतर्गत आंतरिक लेखापरीक्षा के परिणामों की ज़ोन-वार रिपोर्ट कर सकता है।

उपर्युक्त सिफारिशों पर, मंत्रालय ने कहा (जून 2015) कि वार्षिक समीक्षा महालेखा-नियंत्रक के कार्यालय द्वारा जारी विनिर्दिष्ट फार्मेट में तैयार की गई है।

लेखापरीक्षा का विचार है कि आंतरिक लेखापरीक्षा, प्र.सीसीए (सीबीडीटी) के कार्य की बेहतर समीक्षा के लिए कार्यात्मक इकाईयों की लेखापरीक्षा की केंद्रीयकृत निगरानी की जानी चाहिए और आंतरिक लेखापरीक्षा निष्पादन की वार्षिक समीक्षा में ज़ोन-वार परिणामों में सूचित किया जाना चाहिए।

नई दिल्ली **(मनीष कुमार)**
दिनांक : 20 जुलाई 2015 **प्रधान निदेशक (प्रत्यक्षकर)**

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली **(शशि कान्त शर्मा)**
दिनांक : 20 जुलाई 2015 **भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक**